"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 नवम्बर 2011— कार्तिक 13, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती स्वेतलाना हिजकिएल पति डॉ. अभिषेक कुमार हिजकिएल, आयु 30 वर्ष, निवासी - क्वार्टर नं. 17/बी, सड़क नं.-6,-सेक्टर-1, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा विवाह डॉ. अभिषेक कुमार हिजकिएल आत्मज श्री एन. के. हिजकिएल के साथ छिन्दवाड़ा (म. प्र.) में दिनांक 14-10-2009 को सम्पन्न हुआ, विवाह पूर्व मैं कु. स्वेतलाना बरकुर जी पिता श्री एन. के बरकुर जी के नाम से जानी, पहचानी जाती थी जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है, को परिवर्तित कर मैं अपना नया उपनाम श्रीमती स्वेतलाना हिजकिएल रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब से मुझे श्रीमती स्वेतलाना हिजकिएल पति डॉ. अभिषेक कुमार हिजकिएल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

कुमारी स्वेतलाना बरकुर जी
पिता-श्री एन. के. बरकुर जी

नया नाम

श्रीमती स्वेतलाना हिजकिएल
पति-डॉ. अभिषेक कुमार हिजकिएल
निवासी-क्वार्टर नं. 17/बी, सड़क नं. 6
सेक्टर नं.-1, भिलाई
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रकाश आत्मज श्री सी. एम. प्रसाद , निवासी - प्लाट नं.-B/2, क्रास स्ट्रीट-2, आशीष नगर (वेस्ट) रिसाली, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपने पुत्र साकेत ज्योति का उपनाम "ज्योति" जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित है को परिवर्तित कर नया उपनाम "प्रकाश" रख लिया तथा इस आशय के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को साकेत प्रकाश आत्मज प्रकाश के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
साकेत ज्योति पिता-प्रकाश निवासी-प्लाट नं. B/2, क्रास स्ट्रीट-2 आशीष नगर (वेस्ट) रिसाली, भिलाई जिला-दुर्ग (छ. ग.)	साकेत प्रकाश पिता-प्रकाश निवासी-प्लाट नं. B/2, क्रास स्ट्रीट-2 आशीष नगर (वेस्ट) रिसाली, भिलाई जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती प्रिया अग्रवाल पति श्री प्रशांत अग्रवाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी - गौशाला रोड, रायगढ़, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा विवाह श्री प्रशांत अग्रवाल के साथ दिनांक 27-6-2007 को सम्पन्न हुआ, विवाह पूर्व मैं कु. प्रिया कुमारी आत्मजा श्री मुरारी लाल अग्रवाल के नाम से जानी, पहचानी जाती थी जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक व शासकीय अभिलेखों में अंकित है, को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम श्रीमती प्रिया अग्रवाल रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती प्रिया अग्रवाल पति श्री प्रशांत अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. प्रिया कुमारी आत्मजा-श्री मुरारी लाल अग्रवाल	**श्रीमती प्रिया अग्रवाल पति-श्री प्रशांत अग्रवाल निवासी-गौशाला रोड, रायगढ़ तहसील व जिला-रायगढ़ (छ. ग.)**

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2011

(फार्म-4 नियम देखिये)

[लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1) के अंतर्गत]

क्र. ले. न्या. अ. वि. अ./वा-2.—आवेदक श्री मनहरण लाल तिवारी न्यासी एवं अन्य न्यासीगण सतबहिनिया मंदिर ट्रस्ट, निवासी ग्राम [illegible] "सतबहिनिया मंदिर ट्रस्ट, ग्राम देवरीखुर्द". को लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक न्यास

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा. इस संबंध में कोई भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	सतबहिनिया मंदिर, ग्राम देवरी खुर्द, तहसील व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	ग्राम देवरीखुर्द, प. ह. नं. 24, तहसील-जिला बिलासपुर स्थित भूमि ख. नं. 82 का भाग रकबा 0.17 एकड़ भूमि में स्थित देवी मंदिर, शिवमंदिर, सांई मंदिर, ज्योति कलश भवन, स्टोर रूम इत्यादि.

बिलासपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

(फार्म-4 नियम देखिये)

[लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1) के अंतर्गत]

क्रमांक/599/लो. न्या./अ. वि. अ./वा-2.—आवेदक श्री मनीष वाधवानी एवं अन्य न्यासीगण हृदय हनुमान राम धाम सेवा [illegible] ने " हृदय हनुमान राम धाम सेवा ट्रस्ट, बिलासपुर " को लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन [illegible] आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा. इस संबंध में कोई भी व्यक्ति को [illegible] रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभावक [illegible] से या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरांत [illegible] कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	हृदय हनुमान राम धाम सेवा ट्रस्ट, बिलासपुर. निवास स्थान [illegible] मिक्चर फैक्टरी के सामने, बिलासपुर, तहसील व जिला [illegible]
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक.

संचालक, गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ. ग.)

बैकुण्ठपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्रमांक /मा. चि. /2011/1210.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर के पार्क परिक्षेत्र रेहण्ड के अंतर्गत पार्क उप परिक्षेत्र मोहरसोप के बीट-रसौकी प्रभारी श्री प्रहलाद सिंह, वनरक्षक द्वारा प्रभार देने के लिये दिनांक 06-07-2011 को रिकार्ड देखा तो बीट-रसौकी का बीट हैमर बस्ते में नहीं था. अज्ञात स्थान पर हैमर गुम हो गया है. अत: वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हैमर क्रमांक GGNP 26 को संचालक कार्यालय के स्टाक से अपलेखित किया जाता है. उक्त हैमर की कीमत 475/- (चार सौ पचहत्तर) रुपये श्री प्रहलाद सिंह, वनरक्षक, बीट प्रभारी रसौकी के देय स्वत्वों से वसूल करने का आदेश स्वीकृत किया जाता है तथा हैमर उनकी लापरवाही से गुम होने के फलस्वरूप उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

यदि उपरोक्त हैमर किसी व्यक्ति को मिले तो वह निकटतम थाने अथवा विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें. यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उक्त हैमर का उपयोग करते हुये पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जाएगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.

ए. बी. मिंज,
संचालक.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.